न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/19/2024	2024/44	13.02.2024	20.05.2024

1. गीता पुत्री रामजति जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. रामजति पुत्र रामहेत जाति जाट निवासी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।
2. तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र मुंतकिल

उपस्थितः—
01—श्री रज्जन कुमार सिद्ध —वकील प्रार्थी
02—श्री धारा सिंह —वकील अप्रार्थी सं0 1

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण सं0 2/64 उनवान गीता देवी बनाम रामजति को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के प्रकरण सं0 2/64 उनवान गीता देवी बनाम रामजति में विचाराधीन है। प्रार्थी ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेड़ा का स्थाई निवासी है। गीता देवी अप्रार्थी रामजति की सगी पुत्री है और रेशम देवी प्रार्थी की माता है, जो अप्रार्थी रामजति की धर्मपन्ति है। प्रार्थी बीमान रहती है एवं अप्रार्थी सं0 1 की पत्नी रेशम देवी लकवे की बीमारी से ग्रसित है एवं आंखों से दिखाई नहीं देता है। जो बुजुर्ग है और काफी हद तक परेशान है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 की एक बुजुर्गानी जायदाद आराजी ग्राम हल्दीना में स्थित है। जिस आराजी पर प्रार्थी व उसकी मां व अप्रार्थी सं0 1 तीनों काबिज है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 उपरोक्त आराजी को अपने भाई की बहुओं को देना चाहता है, जबकि उपरोक्त आराजी विवादित बुजुर्गानी है एवं बुजुर्गों की बेची हुई जमीन से खरीदी गई आराजी है, जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 दोनों का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा के यहां एक राजस्व वाद दावा दुरूस्ती इंद्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा का धारा 88, 89 व 188 राज0का0अधि0 के तहत पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्याया0 ने दिनांक 01.04.2022 को स्थगन आदेश पारित कर दिया, जो स्थगन आदेश आज दिन तक बदस्तूर प्रभावी है और बाध्यकारी है। मौजूदा प्रकरण में अप्रार्थी सं0 1 अपनी पुत्री प्रार्थी गीता देवी एवं धर्मपत्नी रेशम देवी को बार—बार इस बात की धमकी देता है कि मैं अधीनस्थ न्यायालय को साज—बाज करके उपरोक्त स्थगन दिनांक 01.04.2022 को खत्म करा दूंगा और आराजी को बेचान कर दूंगा या अपने भाईयों की बहु को बयनामा या अन्य दस्तावेज से बेचान कर दूंगा। प्रार्थी बहुत ही आहत है, अगर अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मान0 न्याया0 से साज—बाज करके उक्त आराजी का बेचान कर दिया गया या अपने भाईयों की बहु को दान कर दिया गया या अन्य किसी दीगर तरीके से मुंतकिल मकफूल कर दिया गया तो प्रार्थी को नापूर्ति होने वाली क्षति

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

कारित होगी, अपना हानि होगी। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 की बातो व तथ्यों से यह प्रार्थी के मौजूदा वाद में जो स्थगन आदेश दिनांक 01.04.2022 बदस्तूर जारी है। स्थगन आदेश व मौजूदा वाद को किसी भी स्तर पर खारिज कर सकती है। इसलिए प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थिनी का मौजूदा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां मुंतकिल किया जाना न्याय संगत व न्यायोचित है। अतः प्रार्थिनी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा में विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण सं0 2/64 उनवान गीता देवी बनाम रामजति को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में मुंतकिल फरमावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थिनी ग्राम हल्दीना की स्थाई निवासी नहीं अप्रार्थी की पुत्री है, जिसका विवाह करीब 15 वर्ष पूर्व चतर सिंह के साथ किया था जिसका ससुराल ग्राम डोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर में और वही पर निवास करती है। अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी पुत्री की शादी में काफी दान दहेज दिया। प्रार्थिनी जवान व स्वस्थ है। अप्रार्थी सं0 1 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी बुजुर्गानी नही है ओर नहीं प्रार्थिनी ने अपने दावा में इस बात का अंकन किया और ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 की खरीदशुदा आराजी है। जिस पर दावा लाने का किसी वारिस को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 01.04.2022 अप्रार्थी सं0 1 को बिना सुने दिया है जो काबिल खारिज है। अप्रार्थी सं0 1 व उसकी माता ने कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थिनी का उक्त आरजी पर कोई कब्जे काश्त नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, जिसको नाजायज तंग व परेशान करने की नियत से अप्रार्थी सं0 1 का भतीजा विशम्भर पुत्र रामसिंह के कहने पर यह झुठा दावा पेश किया है। ऐसी सूरत में उक्त वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करना न्यायोचित नहीं है। वाद प्रार्थिनी द्वारा झुठे तथ्यों पर आधारित पेश किया। जिस पर कामयाबी मिलने की कोई उम्मीद नहीं होने में उक्त प्रकरण की कार्यवाही करवाने की नियत से यह प्रा0पत्र भी झूठे तथ्यों पर पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रा0पत्र 07 नियम 11 का दि0 14.06. 2022 को मय दस्तावेज के पेश किया, जिस पर प्रार्थिनी उसके अधिवक्ता ने 13 पेशीयों के बाद दि0 26.09.2023 को जवाब पेश किया गया और प्रा0पत्र पर बहस के लिए अप्रार्थीया 12 पेशीयां ली तथा बडी मुश्किल प्रा0पत्र पर दोनों पक्षकारों की ओर से दि0 06.02.2024 बहस सुनी गयी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 13.02.24 पेशी नियत की थी जब प्रार्थिनी को यह लगा कि उक्त वाद कानून चलने योग्य नहीं है। उक्त वाद को लंबित रखने की नियत से यह गलत तथ्यों के आधार पर प्रा0पत्र मुंतकिल पेश किया है। मुंतकिल प्रा0पत्र पर प्रार्थिनी द्वारा बहस नहीं की जा रही है। गत दि0 13.05.2024 करे प्रार्थिनी के अधिवक्ता बहस के लिए आगामी पेशी लेकर पहले चला गया। अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थीया द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र मनगढंत व काल्पनिक आधारों पेश किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पद पर दि0 10.01.2024 को कार्यग्रहण किया है। प्रार्थिया द्वारा गलत एवं असत्य तथ्य अंकित किये है बल्कि वास्तविक तथ्य इस प्रकरण में वकील वादी को प्रा0पत्र 07 नियम 11 सीपीसी की बहस के दि0 02.08.2023 से लगातार मौके दिये जा रहे है किन्तु प्रत्येक तारीख पेशी पर बहस नहीं करते हुए तारीखे ली जाती है। जिस कारण प्रकरणों का निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निस्तारण नहीं हो पाता है। मौजूदा प्रकरण में दि0 13.02. 2024 को आदेश पर रखी गई। आदेश से पूर्व ही वकील वादी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र की सूचना न्यायालय में पेश कर दी गयी। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण को महज लम्बा करने की नियत से मनगढंत एवं काल्पनिक तथ्यों को अंकित करते हुए प्रा0पत्र मुंतकिल पेश किया है। फिर भी प्रकरण को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में मुंतकिल के आदेश फरमाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया के वाद में पेश प्रा0पत्र 07 नियम 11 सीपीसी की बहस हेतु दि0 02.08.2023 से लगातार मौके दिये जा रहे है, जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया है। दि0 13.02.2024 को आदेश पर रखी गई। किन्तु प्रार्थिया द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल में मुख्य तर्क वाद में जारी स्थगन आदेश दि0 01.04.

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

2022 के संबंध में तथ्य अंकित कर वाद को मुंतकिल किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थिया द्वारा वाद में वर्तमान में नियत रतर को छुपाया गया है तथा प्रार्थिया द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। प्रार्थिया का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
(राज0)
राजस्थान